



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर हत्या कर साक्ष्य छुपाने के अभियोग में अभियुक्त को आजीवन कारावास व 12,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मझगवां में पंजीकृत मु०अ०सं०-25/2021 धारा- 302,201 भा०द०सं० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त रामस्वरुप पुत्र चिरन्जीलाल निवासी-मोहानी थाना मझगवां जनपद हमीरपुर को आजीवन कारावास व 12,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री राजेश
कुमार तिवारी



विवेचक-
निरी० श्री रामजीत
गौर



पैरोकार- थाना मझगवां
का० सर्वज्ञ